डॉ0बी0राजेन्दर,भा.प्र.से.,जिला दण्डाधिकारी,कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2004 को हुई **PP,GP,APPs,AGPs,Spl.PPs की बैठक की कार्यवाही।**

उपस्थिति:– उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

1. सभी उपस्थित सरकारी अधिवक्तागण से परिचय हुआ ।

2. सर्वप्रथम जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि सरकारी अधिवक्ताओं की यह मासिक बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है । इस बैठक में महीने में एक बार सभी सरकारी अधिवक्ताओं से स्थानीय न्यायालयों में लंबित सरकारी मुकदमा के निष्पादन में होनेवाली कठिनाईयों के संबंध में विचार विमर्श कर कठिनाईयों को दूर किया जाता है ।

जिला दण्डाधिकारी ने उपस्थित सभी सरकारी अधिवक्ताओं से स्थानीय न्यायालयों न्यायालयवार एवं अधिवक्तावार लंबित सरकारी मुकदमों की विषयवार विवरणी निम्नांकित प्रपत्र में विगत तीन वर्षों का तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया:–

[illegible]	[illegible]	[illegible]	...ष्पादित मुकदमों की सं0	आलोच्य माह में निष्पादित मुकदमों की संख्या	कुल निष्पादित मुकदमों की सं0	लंबित मुकदमों की सं0 एवं लंबित रहने का का कारण	कितने वर्ष से लंबित हुआ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	5	6	7	8

सरकारी अधिवक्ताओं की बैठक
(2)
वर्ष – 2004
जिला – कैमूर
लंबित + तारीख

[illegible] अनुसार एक ए.पी.पी. है जबकि विधि विभाग के पत्रांक– [illegible] क न्यायालय के लिए कम से कम तीन–तीन ए.पी.पी. का [illegible] 0 न्यायालय है इसके अनुसार कुल 30 अधिवक्ताओं की [illegible] रुद्ध मात्र 10 सरकारी वकील हैं । जिला दण्डाधिकारी ने [illegible] यायधीश से बार एसोसिएशन से 20 अधिवक्ताओं की नियुक्ति [illegible] तु अनुशंसा प्राप्त की जाय।

[illegible] कि वर्तमान उपलब्ध सरकारी अधिवक्ता सभी न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के अपने प्रभार के पैरवी हेतु जाते है । इस पर जिला दण्डाधिकारी ने निदेश दिया कि प्रत्येक न्यायालय के लिए एक सरकारी वकील रहेगें ।

5. सरकारी वकीलों के मानदेय भुगतान हेतु प्राप्त आवंटन के अनुसार प्राप्त विपत्रों का भुगतान शीघ्रता से किया जाय ।

6. बैठक में सरकारी अधिवक्ताओं ने कचहरी कैम्पस में अपने बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया । इसपर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि कचहरी परिसर का परिभ्रमण कर उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

7. जिला दण्डाधिकारी ने सभी सरकारी अधिवक्ताओं को ~~इमानदारीपूर्वक~~ सरकारी मुकदमों का पैरवी कर ~~सरकार के हित में~~ कार्रवाई करने का निदेश दिया ।

B.Rajender 28.2.2004
जिला दण्डाधिकारी
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– /विधि दिनांक 28.02.2004

प्रतिलिपि सभी संबंधित सहायक अधिवक्ताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित ।

B.Rajender 28.2.2004
जिला दण्डाधिकारी
कैमूर(भभुआ)

प्रतिलिपि : जिला लोक अभियोजक/समाहरणालय को आवश्यक प्रेषित

डॉ0बी0राजेन्दर,भा.प्र.से.,जिला दण्डाधिकारी,कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2004 को हुई **PP,GP,APPs,AGPs,Spl.PPs** की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:– उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

सभी उपस्थित सरकारी अधिवक्तागण से परिचय हुआ ।

1. सर्वप्रथम जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि सरकारी अधिवक्ताओं की यह मासिक बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है । इस बैठक में महीने में एक बार सभी सरकारी अधिवक्ताओं से स्थानीय न्यायालयों में लंबित सरकारी मुकदमों के निष्पादन में होनेवाली कठिनाईयों के संबंध में विचार विमर्श कर कठिनाईयों को दूर किया जाता है ।

2. जिला दण्डाधिकारी ने उपस्थित सभी सरकारी अधिवक्ताओं से स्थानीय न्यायालयों में न्यायालयवार एवं अधिवक्तावार लंबित सरकारी मुकदमों की विषयवार विवरणी निम्नांकित प्रपत्र में विगत तीन वर्षो का तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया:--

क्रमांक	न्यायालय का नाम	कुल दायर मुकदमों की सं0	निष्पादित मुकदमों की सं0	आलोच्य माह में निष्पादित मुकदमों की संख्या	कुल निष्पादित मुकदमों की सं0	लंबित मुकदमों की सं. एवं लंबित रहने का का कारण	किसके पक्ष में फैसला हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8

3. इस जिले में प्रत्येक न्यायालय के अनुसार एक ए.पी.पी. हैं जबकि विधि विभाग के पत्रांक– दिनांक– के आलोक में प्रत्येक न्यायालय के लिए कम से कम तीन–तीन ए.पी.पी. का होना अनिवार्य है । इस जिले में कुल 10 न्यायालय हैं इसके अनुसार कुल 30 अधिवक्ताओं की आवश्यकता है । इसके स्वीकृत बल के विरूद्ध मात्र 10 सरकारी वकील हैं । जिला दण्डाधिकारी ने निदेश दिया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश से बार एसोसिएशन से 20 अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु कम से कम 60 नामों की सूची भेजने हेतु अनुशंसा प्राप्त की जाय।

4. जिला दण्डाधिकारी को बताया गया कि वर्तमान उपलब्ध सरकारी अधिवक्ता सभी न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के अपने प्रभार के पैरवी हेतु जाते हैं । इस पर जिला दण्डाधिकारी ने निदेश दिया कि प्रत्येक न्यायालय के लिए एक सरकारी वकील रहेगें ।

5. सरकारी वकीलों के मानदेय भुगतान हेतु प्राप्त आवंटन के अनुसार प्राप्त विपत्रों का भुगतान शीघ्रता से किया जाय ।

6. बैठक में सरकारी अधिवक्ताओं ने कचहरी कैम्पस में अपने बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया । इसपर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि कचहरी परिसर का परिभ्रमण कर उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

7. जिला दण्डाधिकारी ने सभी सरकारी अधिवक्ताओं को ~~[struck]~~ सरकारी मुकदमों का पैरवी कर ~~[struck]~~ कार्रवाई करने का निदेश दिया ।

(हस्ताक्षर) 28.2.2004

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– /विधि0 दिनांक 28.02.2004

प्रतिलिपि सभी संबंधित सहायक अधिवक्ताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 28.2.2004

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

प्रतिलिपि: जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ प्रेषित

डॉ0बी0राजेन्दर,भा.प्र.से.,जिला दण्डाधिकारी,कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2004 को हुई PP,GP,APPs,AGPs,Spl.PPsकी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

1. सभी उपस्थित सरकारी अधिवक्तागण से परिचय हुआ ।

2. सर्वप्रथम जिला दण्डधिकारी ने बताया कि सरकारी अधिवक्ताओं की यह मासिक बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है । इस बैठक में महीने में एक बार सभी सरकारी अधिवक्ताओं से स्थानीय न्यायालयों में लंबित सरकारी मुकदमों के निष्पादन में होनेवाली कठिनाईयों के संबंध में विचार विमर्श कर कठिनाईयों को दूर किया जाता है ।
जिला दण्डाधिकारी ने उपस्थित सभी सरकारी अधिवक्ताओं से स्थानीय नयायालयों में न्यायालयवार एवं अधिवक्तावार लंबित सरकारी मुकदमों की विषयवार विवरणी निम्नांकित प्रपत्र में विगत तीन वर्षो का तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया:--

क्रमांक	न्यायालय का नाम	कुल दायर मुकदमों की सं0	निष्पादित मुकदमों की सं0	आलोच्य माह में निष्पादित मुकदमों की संख्या	कुल निष्पादित मुकदमों की सं0	लंबित मुकदमों की सं. एवं लंबित रहने का का कारण	किसके पक्ष में फैसला हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8

3. इस जिले में प्रत्येक न्यायालय के अनुसार एक ए.पी.पी. हैं जबकि विधि विभाग के पत्रांक– दिनांक के आलोक में प्रत्येक न्यायालय के लिए कम से कम तीन–तीन ए.पी.पी. का होना अनिवार्य है । इस जिले में कुल 10 न्यायालय है इसके अनुसार कुल 30 अधिवक्ताओं की आवश्यकता है । इसके स्वीकृत बल के विरूद्ध मात्र 10 सरकारी वकील हैं । जिला दण्डाधिकारी ने निदेश दिया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश से बार एसोसिएशन से 20 अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु कम से कम 60 नामों की सूची भेजने हेतु अनुशंसा प्राप्त की जाय।

4. जिला दण्डाधिकारी को बताया गया कि वर्तमान उपलब्ध सरकारी अधिवक्ता सभी न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के अपने प्रभार के पैरवी हेतु जाते हैं । इस पर जिला दण्डाधिकारी ने निदेश दिया कि प्रत्येक न्यायालय के लिए एक सरकारी वकील [illegible] ।

5. सरकारी वकीलों के मानदेय भुगतान हेतु प्राप्त आवंटन के अनुसार प्राप्त विपत्रों का भुगतान शीघ्रता से किया जाय ।

6. बैठक में सरकारी अधिवक्ताओं ने कचहरी कैम्पस में अपने बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया । इसपर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि कचहरी परिसर का परिभ्रमण कर उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

7. जिला दण्डाधिकारी ने सभी सरकारी अधिवक्ताओं को ~~इमानदारीपूर्वक~~ सरकारी मुकदमों का पैरवी कर ~~सम्बन्धित~~ में कार्रवाई करने का निदेश दिया ।

BRajendar 28.2.2004
जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक:-- /विवि0 दिनांक 28.02.2004
प्रतिलिपि सभी संबंधित सहायक अधिवक्ताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित ।

BRajendar 28.2.2004
जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

प्रतिलिपि : जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ प्रेषित

डॉ0बी0राजेन्दर,भा0प्र0से0,जिला दण्डाधिकारी,कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2004 को
हुई लोक अभियोजक,सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक तथा
जिला अभियोजन पदाधिकारी की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति:- उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

1. विगत बैठक दिनांक 28.02.2004 में लिए गए निर्णय पर अनुपालन के कम में
यह जानकारी प्राप्त हुई कि विगत बैठक की कार्यवाही विधि शाखा द्वारा सभी
संबंधित लोगों को उपलब्ध ही नहीं कराया गया है । इस पर जिला
दण्डाधिकारी ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29.
02.2004 को ही विगत बैठक की कार्यवाही हस्ताक्षरित करने के बाद विधि
शाखा को भेजा गया परन्तु इसे निर्गत कर सभी संबंधित को अनुपालन हेतु नहीं
भेजना विधि–शाखा के प्रधान सहायक के स्तर पर घेर लापरवाही का द्योतक
है। इस घोर लापरवाही एवं सरकारी कार्य के निष्पादन में उपेक्षापूर्ण रवैया
प्रदर्शित करने हेतु संबंधित प्रधान सहायक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश
जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिया गया।

(अनुपालन–प्रभारी उप समाहर्त्ता विधि शाखा)।

2. जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि इस बैठक के नोडल
पदाधिकारी उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा होंगें तथा वरीय पदाधिकारी अपर
समाहर्त्ता होंगें जो बैठक की कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित करावेगें। बैठक
होने के 24 घंटा के अंदर कार्यवाही आशुलिपिक द्वारा कम्प्युटराईज़ कर निकाल
दिया जायेगा तथा इसका वितरण सभी संबंधित को 48 घंटा के अंदर विधि
शाखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(अनुपालन–आशुलिपिक/विधि शाखा के प्रधान सहायक)।

3. विगत बैठक में लिए निर्णय के विन्दू 2 का अनुपालन नहीं अभीतक नहीं हो
पाया है। यह प्रतिवेदन अगली बैठक के पूर्व अर्थात दिनांक 25.03.2004 तक
निम्नांकित संशोधित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

Proforma
Performa for criminal cases :-
Name of Court :-
Name of PP/Adl.PP /Spl.PP/Asst. PP :-

Sl.No.	Session trial no.	Name of Accused	P.S. case no.	Sectionas	Statge of the case	Result	Remarks Reasons for pending
1	2	3	4	5	6	7	8

Performa for Title Suit cases :-

Name of G.P./A.G. :-

Sl.No.	Case no.	Name of the parties	Detail of lands	Name of the court	Progress	Position of Suit	Remarks reasons for pending
1	2	3	4	5	6	7	8

यह प्रतिवेदन सभी संबंधित अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक लोक अभियोजक के माध्यम से, सभी सहायक सरकारी वकील सरकारी वकील के माध्यम से तथा सभी सहायक लोक अभियोजक जिला अभियोजन पदाधिकारी के माध्यम से उक्त निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इसके बाद लोक अभियोजक, सरकारी वकील एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी इस प्रतिवेदन के साथ एक प्रमाणपत्र देगें कि प्रतिवेदन में दिए गए मुकदमों के अतिरिक्त अन्य कोई मुकदमा किसी न्यायालय में नहीं है।

(अनुपालन–उपर्युक्त सभी सरकारी वकील)।

4. माह के प्रत्येक शनिवार को आशुलिपिक लोक अभियोजक, सरकारी वकील तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी से दूरभाष पर वार्त्ता जिला दण्डाधिकारी से करावेगें । लोक अभियोजक एवं सरकारी वकील का दूरभाष नम्बर क्रमश 06183–223373 तथा 223096 है।

(अनुपालन--आशुलिपिक)।

5. विगत बैठक में लिए गए निर्णय के विन्दू 3 के अनुपालन के संबंध में एक सप्ताह के अंदर अपर लोक अभियोजक का नाम निर्धारित मानक के अनुरूप भेजने हेतु निर्णय लिया गया ।

(उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा/लोक अभियोजक/सरकारी वकील)।

6. विन्दू 6 में लिए गए निर्णय के संबंध में अनुपालन के संबंध में लोक अभियोजक ने बताया कि उनके द्वारा सभी न्यायालयों के लिए अपर लोक अभियोजकों को नामित कर दिया गया है परन्तु यह सूची अभीतक प्राप्त नहीं है। सरकारी वकील एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा इस निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया है। इस संबंध में निदेश गया कि एक सप्ताह के अंदर न्यायालय वार नामित अपर लोक अभियोजक/सहायक सरकारी वकील/सहायक लोक अभियोजकों की सूची जिला विधि शाखा को उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनुपालन–लोक अभियोजक/सरकारी वकील/जिला अभियोजन पदा0)।

7. विगत बैठक के निर्णय क्रमांक 5 के संबंध में अनुपालन किया जा रहा है। आवंटन के उपलब्धता के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(अनुपालन-- अपर समाहर्त्ता/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा)।

Scanned with OKEN Scanner

8. विगत बैठक के निर्णय कमांक 6 के संबंध में कार्य व्यस्तता के कारवाई नहीं हो सकी है। इस संबंध में कचहरी कैम्पस का परिभ्रमण कर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जगह उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी ।

(अनुपालन– जिला दण्डाधिकारी)।

9. बिन्दू 7 के अनुपालन की समीक्षा के कम में बताया गया कि अनुपालन किया जा रहा है परन्तु न्यायालयवार मुकदमों की सूची उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। विभिन्न न्यायालयों में लंबित सरकारी मुकदमा में सरकार की ओर से मुस्तैदी से पैरवी करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– लोक अभियोजक/सरकारी वकील/जिला अभियोजन पदा० एवं अन्य सरकारी वकीलगण)।

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञाप सं0 555 /विधि.भभुआ दिनांक ~~27.03.2004~~. 5.04.04

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता,कैमूर(भभुआ)/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा,कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि लोक अभियोजक/सरकारी वकील/जिला अभियोजन पदाधिकारी,कैमूर(भभुआ)/सभी अपर लोक अभियोजक/सभी विशेष लोक अभियोजक/सभी सहायक सरकारी वकील/सभी सहायक लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with OKEN Scanner

डॉ0बी0राजेन्दर,भा0प्र0से0,जिला दण्डाधिकारी,कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक 29.05.2004 को हुई लोक अभियोजक,सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थितिः– उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

01 विगत बैठक दिनांक 27.03.2004 में लिए गए निर्णय पर अनुपालन के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि विगत बैठक की कार्यवाही विधि शाखा द्वारा सभी संबंधित लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है । दिनांक 28.02.2004 की कार्यवाही विधि शाखा द्वारा संबंधित सरकारी वकील को उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में विगत बैठक दिनांक 27.03.2004 में दिये गए निदेश के आलोक में प्रधान सहायक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है जिसे संचिका में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–प्रभारी उप समाहर्त्ता विधि शाखा)।

02 विगत बैठक की कार्यवाही के विन्दू 2 के संबंध में अनुपालन किया जा रहा है।

(अनुपालन–आशुलिपिक/विधि शाखा के प्रधान सहायक)।

03 विगत बैठक में लिए निर्णय के विन्दू 3 का अनुपालन में निम्नांकित सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकीलों/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों/विशेष लोक अभियोजकों तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी के माध्यम से सहायक लोक अभियोजकों द्वारा [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. श्री [illegible] प्रसाद सिंह, अपर लोक अभियोजक
6. श्री अजित कुमार सिंह यादव, अपर लोक अभियोजक
7. श्री [illegible], अपर लोक अभियोजक
8. श्री मो0 शाहजहां खां, अपर लोक अभियोजक
9. श्री रामेश्वर पाठक, अपर लोक अभियोजक
10. श्री रमेश चन्द्र सिंह, अपर लोक अभियोजक
11. श्री मो0 कलीम, अपर लोक अभियोजक
12. श्री जंगबहादुर सिंह, अपर लोक अभियोजक
13. श्री कामता प्रसाद सिंह, अपर लोक अभियोजक
14. श्री विद्यार्थी सिंह, सहायक सरकारी वकील
15. श्री अमर देव सिंह,सहायक सरकारी वकील
16. ठाकुर सुरेन्द्र नाथ सहाय, सहायक सरकारी वकील
17. मो0 अब्दुल हक, सहायक सरकारी वकील
18. श्री गणेश प्रसाद गुप्ता, सहायक सरकारी वकील

निम्नांकित सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकीलों/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों विशेष लोक अभियोजकों ने विहित प्रपत्र में उनसे संबंधित व्यवहार न्यायालय में चल रहे मुकदमों की सूची नहीं दी गई है:-

1. श्री मारकण्डेय सिंह, विशेष लोक अभियोजक,(आवश्यक वस्तु अधिनियम)
2. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, सहायक सरकारी वकील
3. श्री अशोक कुमार पाण्डेय, सहायक सरकारी वकील
4. श्री राम सागर सिंह, सहायक सरकारी वकील
5. श्री रामजी प्रसाद, सहायक सरकारी वकील
6. श्री सरोज राम, सहायक सरकारी वकील

इसपर खेद प्रकट करते हुए जिला दण्डाधिकारी ने निदेश दिया कि जिल सरकारी वकील/ सहायक सरकारी वकीलों/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों विशेष लोक अभियोजकों द्वारा विहित प्रपत्र में मुकदमों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है ,उनसे पत्र देकर एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण पूछा जाय कि क्यों नहीं पूर्व दो बैठकों में दिए गए आदेश के बावजूद उसका अनुपालन नहीं करने के लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाय। श्री कमल नारायण सिंह, विशेष लोक अभियोजक (मद्य निषेध–एन0डी0पी0एस0) द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, परन्तु उनके द्वारा एकसप्ताह का समय की मांग की गई जिसपर समाहर्त्ता द्वारा उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया ।

(अनुपालन– उप समाहर्त्ता विधि शाखा एवं संबंधित सरकारी वकील)।

इसके अतिरिक्त वैसे सहायक सरकारी वकील/अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक जो बिना सूचना के एवं बिना लिखित अनुमति के इस बैठक से अनुपस्थित हैं उनसे भी स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर पूछा जाय।

(अनुपालन– उप समाहर्त्ता विधि शाखा)।

विगत बैठक के कार्यवाही के विन्दू 4 के संबंध में अनुपालन किया जा रहा है।

विगत बैठक के कार्यवाही के विन्दू 5 के संबंध में कार्रवाई संचिका के माध्यम से उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा द्वारा किया गया है।

सहायक सरकारी वकील श्री सरोज राम ने लिखित आवेदनपत्र देकर कहा कि विगत बैठक में जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश दिया गया था कि भभुआ एवं रामगढ़ थाना के सिविल मामलों को दो सहायक सरकारी वकील को बॉट दिया जाय परन्तु यह कार्य अभीतक सरकारी वकील द्वारा बार–बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध करने पर भी नहीं किया गया है। इस संबंध में विमर्शोपरान्त जिला दण्डाधिकारी ने निदेश किया कि मुकदमों की गम्भीरता एवं उसकी संवेदनशीलता के मद्देनजर ही इस विन्दू पर कार्रवाई की जायेगी।

जिला दण्डाधिकारी ने बैठक में सभी सरकारी वकीलों के साथ विमर्श के क्रम में सरकारी मुकदमों में अपनी विशेष प्राथमिकता की चर्चा करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं में गबन की गई राशि के विरूद्ध दायर सरकारी मुकदमों पर विशेष ध्यान देकर सरकारी राशि की गबन करनेवाले सरकारी कर्मियों अथवा अन्य लोगों को दण्ड दिलवाने की दिशा में कारगर

Rajendra

Scanned with OKEN Scanner

ार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में बैठक में उपस्थित जिला अभियोजन पदाधिकारी को इसपर विशेष ध्यान देने हेतु निदेश दिया या।

(अनुपालन:– जिला अभियोजन पदाधिकारी, कैमूर)।

जेला दण्डाधिकारी ने अपनी दूसरी प्राथमिकता उन मुकदमों के लिए जताई कि जिन स्वत्व वादों में बिहार सरकार अनावाद र्वसाधारण एवं बिहार सरकार (गैरमजरूआ भूमि) सन्हित है वैसे मुकदमों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । ऐसे स्वत्व वादों र विशेष ध्यान देने हेतु सरकारी वकील को निदेश दिया गया एवं ससमय इस संबंध में जानकारी दी जाय।

(अनुपालन:– सरकारी वकील)।

जला दण्डाधिकारी ने सभी संबंधित सरकारी वकीलों को निम्नांकित प्रपत्र में मासिक प्रतिवेद समर्पित करने का निदेश दिया:–

Name of the court.
Name of the PP/APPs/GP/AGPs Spl.PP

l.No.	Total no. of cases pending for disposal at the beginning of calendar year.	New cases lodged during current month.	Total no. of cases pending for disposal in the current month (1+2)	No. of cases disposed of till previous month in the calendar year.	No. of cases disposed of during current month.	Total no. of cases disposed of till current month. (4+5)	No.of cases pending for disposal (3+6)
	1	2	3	4	5	6	7

विन्दू 6, 7, 8, एवं 9 का अनुपालन किया जा रहा है।

Rajendra 29.5.2004
जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

800 /विधि.भभुआ दिनांक 29.05.2004. / 1.6.04
पर समाहर्त्ता,कैमूर(भभुआ)/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा,कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।
लोक अभियोजक/सरकारी वकील/जिला अभियोजन पदाधिकारी,कैमूर(भभुआ)/सभी अपर लोक अभियोजक/सभी विशेष लोक /सभी सहायक सरकारी वकील/सभी सहायक लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

Rajendra 29.5.2004
जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

800 /विधि.भभुआ दिनांक 29.05.2004. / 1.6.04
प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 29.5.2004
जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with OKEN Scanner

डॉ०बी०राजेन्दर,भा०प्र०से०,जिला दण्डाधिकारी,कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक 12.06.2004 को हुई लोक अभियोजक,सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थितिः– उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

1. विगत बैठक के विन्दु 2 के बारे में दिये गये निदेश के आलोक में मुकदमें की स्थिति से संबंधित सारी सूचनायें अधिवक्ताओं द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है परन्तु कुछ अधिवक्ताओं द्वारा अभी तक यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है । अतः प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा को प्रतिवेदन समर्पित नहीं करनेवाले अधिवक्ताओं से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया ।
(अनुपालन–प्रभारी उप समाहर्त्ता विधि शाखा)।

2. बैठक में सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी के [illegible] के लिए जगह की मांग किये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आज ही संध्या 05.30 बजे अपराह्न में स्थल का निरीक्षण कर बैठने के लिए जगह उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी ।

3. अपर लोक अभियोजक के पद पर चयन हेतु कुल 47 अधिवक्ताओं की सूची भेजी गयी है जबकि नियमानुसार एक पद के लिए तीन अधिवक्ताओं का नाम भेजना है । इस जिला में 30 अपर लोक अभियोजक को चयनित करना है इसलिए 43 नाम और भेजना शेष रह गया है । जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नये जिला एवं सत्र न्यायाधीश के योगदान के बाद उनसे विचार विमर्श के पश्चात 43 नाम भेज दिया जायेगा ।
(अनुपालन प्रभारी उप समाहर्त्ता विधि शाखा द्वारा)

4. जिला अभियोजन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सरकारी राशि के गबन से संबंधित कितने मामले दायर किये गये है और उन मामलों में अबतक कौन सी कार्रवाई की गयी है, इन मामलों के लम्बित रहने का कारण क्या है इत्यादि से संबंधित पूर्ण विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय ।

विन्दु 9 के संबंध में जिला अभियोजन पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि आपके अधीन स्थित सहायक जिला अभियोजन पदाधिकारियों के अधीन 409 के कितने मामले है उन सभी मामलों की सूची बना ली जाय तथा उन्हें सजा दिलाने के लिए किन किन कागजातों की आवश्यकता है उसका स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाय ताकि सरकारी राशि के गबन करनेवालों पर अंकुश लग सके ।
(अनुपालन जिला अभियोजन पदाध्यिाकारी द्वारा)

इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी राशि के गबन से संबंधित मामलों का निष्पादन शीघ्रतापूर्वक कराया जाय । इसके लिए जो भी प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता हो, ~~आपको~~ उपलब्ध कराया जायेगा।

5. विहार सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में सहायक सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया कि अंचलवार अलग अलग संचिका संधारित की जाय । इन मामलों की छानबीन कर अवगत कराया जाय कि इन मामलों में आदेश पारित करने के लिए किन किन कागजातों की आवश्यकता है ।
(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा)

Rajendra

6. सहायक सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया कि एक विवरणी तैयार की जाय जिसमें यह विवरणी अंकित रहेगी कि अंचलवार कुल कितने मामलों में लिखित बयान तहरीरी तैयार किये गये, तैयार किये गये लिखित बयान तहरीरी में कितने दाखिल हुए तथा कितने मामलों में लिखित बयान तहरीरी दाखिल करना शेष है । इसके साथ ही जिन अंचल अधिकारियों के स्तर पर इस प्रकार के मामले लम्बित हो तो अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को पत्र लिखा जाय ।

बिहार सरकार से संबंधित मामले वर्ष 1976 से लम्बित पडे हुए है । इन सभी मामलों को जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में रखा जाय।

(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा)

7. जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं पर रोक थाम के लिए एक कमिटि का गठन किया गया है । इस बैठक में आरक्षी अधीक्षक एवं लोक अभियोजक सदस्य के रूप में नामित है । इस बैठक में आरक्षी अधीक्षक द्वारा कुल 33 मामलों की सूची दी गयी थी उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में बताया गया कि 6 मामलों में रिहाई हो चुकी है, 12 मामलों में अभी तक कमिटमेन्ट नहीं है ,15 मामले अभी भी लम्बित है । लोक अभियोजक को निदेश दिया गया कि लम्बित सभी 15 मामलों की सूची जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध करा दी जाय जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि ये मामले किस कारण से लम्बित है ।

(अनुपालन लोक अभियोजक द्वारा)

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संवेदनशील मामलों में अभियुक्त को सजा मिलनी चाहिए ।

8. सम्मन का तामिला हेतु बल की कमी संबंधी प्रश्न पर आश्वासन दिया गया कि आरक्षी अधीक्षक से विचार विमर्श कर बल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी ।

(हस्ताक्षर) 18.6.200[illegible]
जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञाप सं0 920 /विधि. भभुआ दिनांक 22.6.2004

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता,कैमूर(भभुआ)/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा,कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि लोक अभियोजक/सरकारी वकील/जिला अभियोजन पदाधिकारी,कैमूर(भभुआ)/सभी अपर लोक अभियोजक/सभी विशेष लोक अभियोजक/सभी सहायक सरकारी वकील/सभी सहायक लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18.6.200[illegible]
जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with OKEN Scanner

डॉ0बी0राजेन्दर,भा0प्र0से0,जिला दण्डाधिकारी,कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2004 को हुई लोक अभियोजक,सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति:— उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

1. विगत बैठक के विन्दु 2 के बारे में दिये गये निदेश के आलोक में मुकदमें की स्थिति से संबंधित सारी सूचनायें अधिवक्ताओं द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है परन्तु कुछ अधिवक्ताओं द्वारा अभी तक यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है । अतः प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा को प्रतिवेदन समर्पित नहीं करनेवाले अधिवक्ताओं से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया । सभी सरकारी अधिवक्ता अपना प्रतिवेदन बैठक के एक सप्ताह पूर्व विधि शाखा में समर्पित करेगें। प्रभारी पदाधिकारी विधि सभी अधिवक्ताओं की मासिक तालिक बनाकर समीक्षा हेतु जिला दण्डाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करेगें।

(अनुपालन—प्रभारी उप समाहर्त्ता विधि शाखा)।

2. बैठक में सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी के बैठने के लिए जगह की मांग किये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आज ही संध्या 05.30 बजे अपराह्न में स्थल का निरीक्षण कर बैठने के लिए जगह उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी । जिलाधिकारी द्वारा स्थाल निरीक्षण अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ के साथ किया गया तथा अनुमण्डल पदाधिकारी को अनुमण्डल परिसर में अवस्थित लाईब्रेरी के कमरे में लाईब्रेरी को शिफ्ट कर उसमें पी0पी0 को भी बैठने की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।

3. अपर लोक अभियोजक के पद पर चयन हेतु कुल 47 अधिवक्ताओं की सूची भेजी गयी है जबकि नियमानुसार एक पद के लिए तीन अधिवक्ताओं का नाम भेजना है । इस जिला में 30 अपर लोक अभियोजक को चयनित करना है इसलिए 43 नाम और भेजना शेष रह गया है । जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि शेष नामों की सूची दो दिनों के अंदर उप समाहर्त्ता विधि शाखा उपस्थापित करेगें और दिनांक 26.07.2004 के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश से विमर्श करके सूची सरकार को भेजा जायेगा।

(अनुपालन प्रभारी उप समाहर्त्ता विधि शाखा द्वारा)

4. जिला अभियोजन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सरकारी राशि के गबन से संबंधित कितने मामले दायर किये गये है और उन मामलों में अबतक कौन सी कार्रवाई की गयी है, इन मामलों के लम्बित रहने का कारण क्या है इत्यादि से संबंधित पूर्ण विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय । यह सूची प्राप्त हुई है। उपसमाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा इसकी समीक्षा कर संचिका में उपस्थापित करें।

विन्दु 9 के संबंध में जिला अभियोजन पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि आपके अधीन स्थित सहायक जिला अभियोजन पदाधिकारियों के अधीन 409 के कितने मामले है उन सभी मामलों की सूची बना ली जाय तथा उन्हें सजा दिलाने के लिए किन किन कागजातों की आवश्यकता है उसका

Scanned with OKEN Scanner

इसके लिए जो भी प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता हो आपको उपलब्ध कराया जायेगा।

5. बिहार सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में सहायक सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया कि अंचलवार अलग अलग संचिका संधारित की जाय । इन मामलों की छानबीन कर अवगत कराया जाय कि इन मामलों में आदेश पारित करने के लिए किन किन कागजातों की आवश्यकता है ।

(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा)

6. सहायक सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया कि एक विवरणी तैयार की जाय जिसमें यह विवरणी अंकित रहेगी कि अंचलवार कुल कितने मामलों में लिखित बयान तहरीरी तैयार किये गये, तैयार किये गये लिखित बयान तहरीरी में कितने दाखिल हुए तथा कितने मामलों में लिखित बयान तहरीरी दाखिल करना शेष है । इसके साथ ही जिन अंचल अधिकारियों के स्तर पर इस प्रकार के मामले लम्बित हो तो अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को पत्र लिखा जाय ।

बिहार सरकार से संबंधित मामले वर्ष 1976 से लम्बित पडे हुए है । इन सभी मामलों को जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में रखा जाय।

(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा)

7. जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं पर रोक थाम के लिए एक कमिटि का गठन किया गया है । इस बैठक में आरक्षी अधीक्षक एवं लोक अभियोजक सदस्य के रूप में नामित है । इस बैठक में आरक्षी अधीक्षक द्वारा कुल 33 मामलों की सूची दी गयी थी उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में बताया गया कि 6 मामलों में रिहाई हो चुकी है, 12 मामलों में अभी तक कमिटमेन्ट नहीं है ,15 मामले अभी भी लम्बित है । लोक अभियोजक को निदेश दिया गया कि लम्बित सभी 15 मामलों की सूची जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध करा दी जाय जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि ये मामले किस कारण से लम्बित है । इस संबंध में सूचना लोक अभियोजक द्वारा दी गयी है।

(अनुपालन लोक अभियोजक द्वारा)

8. सम्मन का तामिला हेतु बल की कमी संबंधी प्रश्न पर आश्वासन दिया गया कि आरक्षी अधीक्षक से विचार विमर्श कर बल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी । इसके लिए आरक्षी अधीक्षक को पत्र अधोहस्ताक्षरी की ओर से उपस्थापित किया जाय कि कन्स्टेबुल की जिला में कमी को देखते हुए चौकिदारों को भी इस कार्य में लगाया जा सकता है।

9. जिलाधिकारी द्वारा सभी सरकारी वकीलों को निदेश दिया गया कि बैठक के एक सप्ताह पूर्व विगत बैठक में दिये गए निदेश के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन विधि शाखा में प्राप्त करवेगें तथा उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा विधिवत प्राप्त प्रतिवेदनों को संचिका में अपनी टिप्पणी के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेगें।

10. विगत वर्ष 2003–2004 में सभी सहायक सरकारी वकील के पास कितने मामले थे, कितने का निष्पादन हुआ और कितने मामले अभी लंबित हैं तथा सरकार के पक्ष में कितने मामलों में निर्णय हुआ और कितने का सरकार के विरूद्ध फैसला हुआ। यह प्रतिवेदन सभी सहायक सरकारी वकील अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध करना सुनिश्चित करावेगें ।

Scanned with OKEN Scanner

11. किन–किन अंचलों में कितने मामले तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु लंबित हैं यह सूची सरकारी वकील द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। उप समाहर्त्ता विधि शाखा सभी अंचल अधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करनवाली सूची की प्रति लगाते हुए अर्द्धसरकारी पत्र का प्रारूप अविलंब उपस्थापित करें।

12. सरकारी वकील को निदेश दिया गया कि त्रैमासिक प्रतिवेदन दें कि कितने मामले सरकार के पक्ष में निष्पादित हुए और कितने विपक्ष में

13. सरकारी पदाधिकारियों एवं पुलिस की गवाही के लिए कितने मामले है तथा आरोप पत्र समर्पित करने हेतु कितने मामले है इस संबंध में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक प्रतिवेदन अगली बैठक के पूर्व देगें।

14. श्री रोहित राम, अपर लोक अभियोजक ने बताया कि नोटिस का तामिला जो लौटकर आता है वह काफी त्रुटिपूर्ण रहता है क्यों कि जो पुलिस पदाधिकारी स्थानान्तरित हो गए हैं उनके वर्त्तमान पदस्थापन का स्थान उपलब्ध होना चाहिए एवं जो पुलिस पदाधिकारी सेवा निबृत्त हो गए हैं उनके पैत्रिक गॉव का पता उपलब्ध रहना चाहिए।

15. श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, अपर लोक अभियोजक ने बताया कि आरोप पत्र में अनुशंधानकर्त्ता पुलिस पदाधिकारी का नाम वर्त्तमान तथा स्थाई पता स्पष्ट रुप से अंकित होना चाहिए लेकिन ऐसा किसी भी आरोप पत्र में नहीं रहता है जिसके कारण नोटिस भेजने में काफी कठिनाई होती है।

16. श्री कमल नारायण सिंह, विशेष लोक अभियोजक, एन0डी0पी0एस0एक्ट ने बताया कि प्रयोगशाला से जॉच प्रतिवेदन बहुत विलंब से आ रहा है और जो प्रतिवेदन आ भी रहा है वह अस्पष्ट रहता है । उन्होंने इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ठ करने हेतु अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को अधोहस्ताक्षरी की ओर पत्र का प्रारूप उप समाहर्त्ता विधि शाखा उपस्थापित करे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी ।

(हस्ताक्षर) 13.7.2007

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञाप सं0 1006 /विधि. भभुआ दिनांक 13.7.2007

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता,कैमूर(भभुआ)/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा,कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि लोक अभियोजक/सरकारी वकील/जिला अभियोजन पदाधिकारी,कैमूर(भभुआ)/सभी अपर लोक अभियोजक/सभी विशेष लोक अभियोजक/सभी सहायक सरकारी वकील/सभी सहायक लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 13.7.2007

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with OKEN Scanner

डॉ0बी0राजेन्दर,भा0प्र0से0,जिला दण्डाधिकारी,कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2004 को हुई लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

दिनांक—10.07.2004 को आयोजित बैठक में सभी सरकारी अधिवक्ताओं को निदेश दिया गया था कि सरकारी मुकदमों की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन अगली माह की बैठक से पूर्व उपलब्ध करा दिया जाय लेकिन यह प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है । पुनः निदेश दिया गया कि सभी सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी अधिवक्ता अपना अपना लोक अभियोजक एवं सरकारी अधिवक्ता को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगें। लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता अपने अधीनस्थों से प्राप्त प्रतिवेदनों को प्रत्येक माह की 06 तारीख को जिला विधि शाखा को उपलब्ध करायेगें । इसी प्रकार विशेष लोक अभियोजक तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी भी अपने अधीनस्थों से प्राप्त प्रतिवेदनों को जिला विधि शाखा को प्रत्येक माह की 6 तारीख को भेजेगें ।
(अनुपालनसभी लोक अभियोजक,सरकारी अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक एव जिला अभियोजन पदा0)।

1. गत बैठक में सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी के बैठने के लिए जगह की मांग किये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आज ही अपराह्न में स्थल का निरीक्षण कर बैठने के लिए जगह उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी । स्थल का निरीक्षण भी अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ के साथ किया गया तथा अनुमण्डल पदाधिकारी को अनुमण्डल परिसर में अवस्थित लाईब्रेरी के कमरे में लाईब्रेरी को शिफ्ट कर उसमें पी0पी0 को भी बैठने की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक यह व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है। आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही उपरोक्त कार्य करा दिया जायेगा ।
2. अपर लोक अभियोजक के पद पर चयन हेतु कुल 47 अधिवक्ताओं की सूची भेजी गयी है जबकि नियमानुसार एक पद के लिए तीन अधिवक्ताओं का नाम भेजना है । इस जिला में 30 अपर लोक अभियोजक को चयनित करना है इसलिए 43 नाम और भेजना शेष रह गया है । जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि शेष नामों की सूची दो दिनों के अंदर उप समाहर्त्ता विधि शाखा उपस्थापित करेगें जिला एवं सत्र न्यायाधीश से विमर्श करके सूची सरकार को भेजा जायेगा।

(अनुपालन प्रभारी उप समाहर्त्ता विधि शाखा द्वारा)

3. जिला अभियोजन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सरकारी राशि के गबन से संबंधित कितने मामले दायर किये गये है और उन मामलों में अबतक कौन सी कार्रवाई की गयी है, इन मामलों के लम्बित रहने का कारण क्या है इत्यादि से संबंधित पूर्ण विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय । यह सूची प्राप्त हुई है। उपसमाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा इसकी समीक्षा कर संचिका में उपस्थापित करें।

(अनुपालन उप समाहर्त्ता विधि शाखा)

Scanned with OKEN Scanner

इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी राशि के गबन से संबंधित मामलों का निष्पादन शीघ्रतापूर्वक कराया जाय । इसके लिए जो भी प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता हो आपको उपलब्ध कराया जायेगा।

(अनुपालन जिला अभियोजन पदाधिकारी)

4. गत बैठक में बिहार सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में सहायक सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया था कि अंचलवार अलग अलग संचिका संधारित की जाय । इन मामलों की छानबीन कर अवगत कराया जाय कि इन मामलों में आदेश पारित करने के लिए किन किन कागजातों की आवश्यकता है । लेकिन अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है ।

जिला पदाधिकारी द्वारा चैनपुर अंचल अन्तर्गत सिकन्दरपुर मौजा के मुखिया श्री अनिल सिंह द्वारा वहां के कर्मचारी के साथ मारपीट किये जाने एवं सरकारी अभिलेख छीन लिये जाने की चर्चा की गयी । इस संबंध में पूछे जाने पर किसी अधिवक्ता द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी । निदेश दिया गया कि इस प्रकार के मामले सजग एवं सचेष्ट रहा जाय ।

(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा)

5. गत बैठक में सहायक सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया कि एक विवरणी तैयार की जाय जिसमें यह विवरणी अंकित रहेगी कि अंचलवार कुल कितने मामलों में लिखित बयान तहरीरी तैयार किये गये, तैयार किये गये लिखित बयान तहरीरी में कितने दाखिल हुए तथा कितने मामलों में लिखित बयान तहरीरी दाखिल करना शेष है । इसके साथ ही जिन अंचल अधिकारियों के स्तर पर इस प्रकार के मामले लम्बित हो तो अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को पत्र लिखा जाय । इस निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अन्य अंचलों से प्रतिवेदन प्राप्त हो रहा है लेकिन भभुआ अंचल से कोई सूचना नहीं दी जा रही है । इन्होंने बताया कि भभुआ एवं मोहनियां के बहुत सारे मामले लम्बित पडे हुए है । निदेश दिया गया कि दोनों अंचल अधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अर्द्ध सरकारी पत्र लिखा जाय एवं अंचल अधिकारियों की मासिक बैठक में भी इस मामले को रखा जाय ।

(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा)

6. गत बैठक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं पर रोक थाम के लिए एक कमिटि का गठन के बारे में सूचित करते हुए बताया गया था कि इस कमिटि में आरक्षी अधीक्षक एवं लोक अभियोजक सदस्य के रूप में नामित है । इस बैठक में आरक्षी अधीक्षक द्वारा कुल 33 मामलों की सूची दी गयी थी। इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया था कि 6 मामलों में रिहाई हो चुकी है, 12 मामलों में अभी तक कमिटमेन्ट नहीं है 15 मामले लम्बित बताये गये थे। निदेश दिया गया था कि लम्बित सभी 15 मामलों की सूची जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध करा दी जाय जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि ये मामले किस कारण से लम्बित है । लेकिन अभी तक इसका अनुपालन नहीं हुआ है । पुनः निदेश दिया गया कि अविलम्ब लम्बित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय ।

(अनुपालन लोक अभियोजक द्वारा)

Scanned with OKEN Scanner

7. सम्मन का तामिला हेतु बल की कमी संबंधी प्रश्न पर आश्वासन दिया गया कि आरक्षी अधीक्षक से विचार विमर्श कर बल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी । इसके लिए आरक्षी अधीक्षक को पत्र अधोहस्ताक्षरी की ओर से उपस्थापित किया जाय कि कन्स्टेबुल की जिला में कमी को देखते हुए चौकिदारों को भी इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाय ।

(अनुपालन उप समाहर्त्ता विधि शाखा)

8. जिलाधिकारी द्वारा सभी सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0 को निदेश दिया गया कि बैठक के एक सप्ताह पूर्व विगत बैठक में दिये गए निदेश के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन विधि शाखा में प्राप्त करावेगें तथा उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा विधिवत प्राप्त प्रतिवेदनों को संचिका में अपनी टिप्पणी के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेगें।

(अनुपालन लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0)

9. विगत वर्ष 2003–2004 एवं 2004–05 में प्रतिवेदित माह तक सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0 के पास कितने मामले थे, कितने का निष्पादन हुआ और कितने मामले अभी लंबित हैं तथा सरकार के पक्ष में कितने मामलों में निर्णय हुआ और कितने का सरकार के विरूद्ध फैसला हुआ। यह प्रतिवेदन सभी संबंधित अधिवक्ता अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावेगें ।

(अनुपालन सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0)

10. किन–किन अंचलों में कितने मामले तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु लंबित हैं यह सूची सरकारी वकील द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। उप समाहर्त्ता विधि शाखा सभी अंचल अधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करनवाली सूची की प्रति लगाते हुए अर्द्धसरकारी पत्र का प्रारूप अविलंब उपस्थापित करें।

(अनुपालन उपसमाहर्त्ता विधि शाखा)

11. सभी अधिवक्ताओं को निदेश दिया गया किमासिक/त्रैमासिक/छमाही एवं वार्षिक प्रतिवेदन दें कि कितने मामले सरकार के पक्ष में निष्पादित हुए और कितने विपक्ष में आदेश पारित हुआ है ।

(सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0)

12. सरकारी पदाधिकारियों एवं पुलिस की गवाही के लिए कितने मामले है तथा आरोप पत्र समर्पित करने हेतु कितने मामले है इस संबंध में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

(अनुपालन लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक)

13. कितने बेल पिटिशन दाखिल किये गये,उसमें से कितना पिटिशन स्वीकृत हुआ एवं कितना आवेदन अस्वीकृत हुआ इसकी विवरणी अगली बैठक में लाई जाय।

(अनुपालन लोक अभियोजक द्वारा)

14. सरकारी राशि के गबन के आरोपी को सजा जरूर मिले यह सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन जिला अभियोजन पदाधिकारी)

15. आवश्यक पत्राचार के बावजूद यदि कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है । वैसे मामलों की सूची उपलब्ध कराई जाय ।

(अनुपालनसभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी ।

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञाप सं0 /विधि. भभुआ दिनांक

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता,कैमूर(भभुआ)/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा,कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि लोक अभियोजक/सरकारी वकील/जिला अभियोजन पदाधिकारी,कैमूर(भभुआ)/सभी अपर लोक अभियोजक/सभी विशेष लोक अभियोजक/सभी सहायक सरकारी वकील/सभी सहायक लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

आयुक्त पटना प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ प्रेषित

Scanned with OKEN Scanner

डॉ0बी0राजेन्दर,भा0प्र0से0,जिला दण्डाधिकारी,कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक 25.09.2004 को हुई लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी की बैठक की कार्यवाही।

सरकार से संबंधित सभी मामलों को जिला विधि शाखा द्वारा कम्प्यूटराईज करा दिया गया है जिसके लिए विधि शाखा के प्रभारी प्रधान सहायक श्री जनार्दन पाण्डेय बधाई के पात्र है । इसके साथ ही श्री पाण्डेय को निदेश दिया गया कि इसकी एक प्रति और तैयार कराकर आयुक्त,पटना प्रमण्डल पटना को भेज दिया जाय ।

उपस्थितिः—

उपस्थिति की जांच की गयी और निदेश दिया गया कि बैठक में अनुपस्थित सभी अधिवक्ताओं से स्पष्टीकरण पूछा जाय ।

गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

दिनांक—14.08.2004 को आयोजित बैठक में सभी सरकारी अधिवक्ताओं को निदेश दिया गया था कि सरकारी मुकदमों की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन अगली माह की बैठक से पूर्व उपलब्ध करा दिया जाय लेकिन यह प्रतिवेदन अभी तक श्री आशकरन सिंह,श्री रामेश्वर सिंह विद्यार्थी,श्री अमरदेव सिंह,श्री गणेश प्रसाद,श्री अशोक कुमार पाण्डेय,श्री रामेश्वर पाठक, श्री रामसागर सिंह एवं अन्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है । इसपर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी । श्री अब्दुल वाहिद खां,लोक अभियोजक के अनुरोध पर पुनः अन्तिम मौका देते हुए निदेश दिया गया कि सभी सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी अधिवक्ता अपना अपना प्रतिवेदन लोक अभियोजक एवं सरकारी अधिवक्ता को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अवश्य उपलब्ध करा दें। लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता अपने अधीनस्थों से प्राप्त प्रतिवेदनों को प्रत्येक माह की 06 तारीख को जिला विधि शाखा को उपलब्ध करायेगें । इसी प्रकार विशेष लोक अभियोजक तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी भी अपने अधीनस्थों से प्राप्त प्रतिवेदनों को जिला विधि शाखा को प्रत्येक माह की 6 तारीख को भेजेगें ।

जिला विधि शाखा के प्रभारी उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि लोक अभियोजक,सरकारी अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर समेकित प्रतिवेदन अगली बैठक में तैयार रखेगें ताकि अल्प अवधि में बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की जा सके । इसके अतिरिक्त निम्नांकित निदेश दिये गये :—

1. सभी अधिवक्ता प्रत्येक माह अधिक से अधिक मामले का निष्पादन सुनिश्चित करें और ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध करावें ।
2. जिला अभियोजन पदाधिकारी पूरे लगन एवं निष्ठा के साथ मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करावें।
3. सरकारी अधिवक्ता बिहार सरकार की जमीन से संबंधित दायर किये मामलों के संबंध में सहायक सरकारी अधिवक्ता वार निष्पादन की विवरणी उपलब्ध कराई जाय जिसमें यह अंकित रहेगा कि निष्पादित मामलों में से कितने मामलें सरकार के पक्ष में और कितने मामलों में विपक्ष में निष्पादित हुए हैं ।
4. अंचल अधिकारियों द्वारा ससमय बयान तहरीरी नहीं तैयार कराये जाने के प्रश्न पर निदेश दिया गया कि अंचलवार बिहार सरकार से संबंधित मामलों की विवरणी उपलब्ध कराई जाय ताकि अंचल अधिकारियों की मासिक बैठक में इसकी समीक्षा की जा सके।

(अनुपालनसभी लोक अभियोजक,सरकारी अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक एव जिला अभियोजन पदा0 एवं विधि शाखा)।

5. गत बैठक में सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी के बैठने के लिए जगह संबंधी प्रश्न पर आश्वासन दिया गया कि अनुमण्डल परिसर में अवस्थित लाईब्रेरी के कमरे में लाईब्रेरी को शिफ्ट कर उसमें पी0पी0 को भी बैठने की व्यवस्था कर दी जायेगी लेकिन अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो पाई है। आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही उपरोक्त कार्य करा दिया जायेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

6. अपर लोक अभियोजक के पद पर चयन हेतु अधिवक्ताओं की सूची प्राप्त हो चुकी है । बताया गया कि विहित प्रकिया के अनुसार भेजने की कार्रवाई की जायेगी ।

(अनुपालन प्रभारी उप समाहर्त्ता विधि शाखा द्वारा)

7. जिला अभियोजन पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि सरकारी राशि के गबन से संबंधित कितने मामले दायर किये गये है और उन मामलों में अबतक कोन सी कार्रवाई की गयी है, इन मामलों के लम्बित रहने का कारण क्या है इत्यादि से संबंधित पूर्ण विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय । यह सूची प्राप्त हुई है। उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा इसकी समीक्षा कर संचिका में उपस्थापित करें।

(अनुपालन उप समाहर्त्ता विधि शाखा)

इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी राशि के गबन से संबंधित मामलों का निष्पादन शीघ्रतापूर्वक कराया जाय ।

(अनुपालन जिला अभियोजन पदाधिकारी)

8. गत बैठक में बिहार सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में सहायक सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया था कि अंचलवार अलग अलग संचिका संधारित की जाय । इन मामलों की छानबीन कर अवगत कराया जाय कि इन मामलों में आदेश पारित करने के लिए किन किन कागजातों की आवश्यकता है । लेकिन अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

चैनपुर अंचल अन्तर्गत सिकन्दरपुर मौजा के मुखिया श्री अनिल सिंह द्वारा वहां के कर्मचारी के साथ मारपीट किये जाने एवं सरकारी अभिलेख छीन लिये जाने के प्रश्न पर बताया गया अभिलेख वापस करने का आदेश सी.जे.एम.द्वारा दिया गया है। संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई आवश्यक है । इसलिए उसको गिरफ्तार करने हेतु आरक्षी अधीक्षक को पत्र लिखा जाय ।

(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता,विधि शाखा द्वारा)

9. गत बैठक में सहायक सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया कि एक विवरणी तैयार की जाय जिसमें यह विवरणी अंकित रहेगी कि अंचलवार कुल कितने मामलों में लिखित बयान तहरीरी तैयार किये गये, तैयार किये गये लिखित बयान तहरीरी में कितने दाखिल हुए तथा कितने मामलों में लिखित बयान तहरीरी दाखिल करना शेष है । इसके साथ ही जिन अंचल अधिकारियों के स्तर पर इस प्रकार के मामले लम्बित हो तो अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को पत्र लिखा जाय । इस निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अन्य अंचलों से प्रतिवेदन प्राप्त हो रहा है लेकिन भभुआ अंचल से कोई सूचना नहीं दी जा रही है । इन्होंने बताया कि भभुआ एवं रामगढ़ में अभी भी बहुत सारे मामले लम्बित पडे हुए है । निदेश दिया गया कि दोनों अंचल अधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अर्द्ध सरकारी पत्र लिखा जाय एवं अंचल अधिकारियों की मासिक बैठक में भी इस विषय को रखा जाय ।

(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा)

10. फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं पर रोक थाम के लिए एक कमिटि का गठन के बारे में सूचित करते हुए बताया गया था कि इस कमिटि में आरक्षी अधीक्षक एवं लोक अभियोजक सदस्य के रूप में नामित है । इस बैठक में आरक्षी अधीक्षक द्वारा कुल 33 मामलों की सूची दी गयी थी। इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया था कि 6 मामलों में रिहाई हो चुकी है, 12 मामलों में अभी तक कमिटमेन्ट नहीं है 15 मामले लम्बित बताये गये थे। निदेश दिया गया था कि लम्बित सभी 15 मामलों की सूची जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध करा दी जाय जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि ये मामले किस कारण से लम्बित है । लेकिन अभी तक इसका अनुपालन नहीं हुआ है । पुनः निदेश दिया गया कि अविलम्ब लम्बित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय ।

(अनुपालन लोक अभियोजक द्वारा)

Scanned with OKEN Scanner

11. सम्मन का तामिला हेतु बल की कमी संबंधी प्रश्न पर आश्वासन दिया गया कि आरक्षी अधीक्षक से विचार विमर्श कर बल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी । इसके लिए आरक्षी अधीक्षक को पत्र अधोहस्ताक्षरी की ओर से उपस्थापित किया जाय कि कन्स्टेबुल की जिला में कमी को देखते हुए चौकिदारों को भी इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाय ।

(अनुपालन उप समाहर्त्ता विधि शाखा)

12. जिलाधिकारी द्वारा सभी सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0 को निदेश दिया गया कि बैठक के एक सप्ताह पूर्व विगत बैठक में दिये गए निदेश के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन विधि शाखा में प्राप्त करावेगें तथा उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा विधिवत प्राप्त प्रतिवेदनों को संचिका में अपनी टिप्पणी के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेगें जो नहीं किया गया है। उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा को पुनः निदेश दिया गया कि प्राप्त प्रतिवेदनों को उपस्थापित करें ।

(अनुपालन लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजनपदा0,प्रभारीपदा0विधि शाखा)

13. विगत वर्ष 2003–2004 एवं 2004–05 में प्रतिवेदित माह तक सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0 के पास कितने मामले थे, कितने का निष्पादन हुआ और कितने मामले अभी लंबित हैं तथा सरकार के पक्ष में कितने मामलें में निर्णय हुआ और कितने का सरकार के विरूद्व फैसला हुआ। यह प्रतिवेदन सभी संबंधित अधिवक्ता अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावेगें ।

(अनुपालन सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0)

14. किन–किन अंचलों में कितने मामले तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु लंबित हैं यह सूची सरकारी वकील द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। उप समाहर्त्ता विधि शाखा सभी अंचल अधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करनेवाले वादों सूची संलग्न करते हुए अर्द्धसरकारी पत्र का प्रारूप अविलंब उपस्थापित करें।

(अनुपालन उपसमाहर्त्ता विधि शाखा)

15. गत बैठक में सभी अधिवक्ताओं को निदेश दिया गया था कि मासिक/त्रैमासिक/छमाही एवं वार्षिक प्रतिवेदन दें कि कितने मामले सरकार के पक्ष में निष्पादित हुए और कितने विपक्ष में आदेश पारित हुआ है। स्पष्ट हुआ कि त्रैमासिक प्रतिवेदन दिया जाता है । निदेश दिया गया कि मासिक प्रतिवेदन भी दिया जाय ।

(सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0)

16. सरकारी पदाधिकारियों एवं पुलिस की गवाही के लिए कितने मामले है तथा आरोप पत्र समर्पित करने हेतु कितने मामले है इस संबंध में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

(अनुपालन लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक)

17. कितने बेल पिटिशन दाखिल किये गये,उसमें से कितना पिटिशन स्वीकृत हुआ एवं कितना आवेदन अस्वीकृत हुआ इसकी विवरणी अगली बैठक में लाये जाने संबंधी प्रश्न पर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि अगस्त माह में 106 बेल पिटिशन दाखिल किये गये जिसमें से 74 आवेदन खारिज कर दिये गये शेष आवेदन स्वीकृत हुआ है।

18. जिला अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि 58 बेल पिटिशन दायर किये गये थे जिसमें 49 खारिज हो गये है सिर्फ 9 स्वीकृत हुआ है ।

Scanned with OKEN Scanner

19. आवश्यक पत्राचार के बावजूद यदि कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है । वैसे मामलों की सूची उपलब्ध कराई जाय ।

(अनुपालनसभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी ।

Rajendra 7/10/2004

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञाप सं0 1564 /विधि. भभुआ दिनांक 7.10.04

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता,कैमूर(भभुआ)/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा,कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि लोक अभियोजक/सरकारी वकील/जिला अभियोजन पदाधिकारी,कैमूर (भभुआ)/सभी अपर लोक अभियोजक/सभी विशेष लोक अभियोजक/सभी सहायक सरकारी वकील/सभी सहायक लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 7/10/2004

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– 1564 दिनांक– 7.10.04

प्रतिलिपि सचिव,विधि एवं न्याय विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 7/10/2004

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with OKEN Scanner

डॉ0बी0राजेन्दर,भा0प्र0से0,जिला दण्डाधिकारी,कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.04 को हुई लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः—

उपस्थिति की जांच की गयी और निदेश दिया गया कि बैठक में अनुपस्थित सभी अधिवक्ताओं से स्पष्टीकरण पूछा जाय ।

गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

दिनांक—25.09.2004 की बैठक में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों एवं उसके निष्पादन की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुए है लेकिन अभी भी कुछ अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिवेदन नहीं दिया गया है । बार बार निदेशित किये जाने के बावजूद प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया ।

अधिवक्ताओं से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि निष्पादित मामलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है । सरकारी अधिवक्ता द्वारा पूरे वर्ष में सिर्फ 05 मामलों का निष्पादन कराया गया है । इसी प्रकार लोक अभियोजन एवं सहायक लोक अभियोजक द्वारा पूरे वर्ष में सिर्फ 14 मामले निष्पादित कराये गये है। पूरे वर्ष 2004 में विगत नव माह की अवधि में इस निष्पादन की स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है । निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराया जाय ।

जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 57 बेलपिटिशन दाखिल किये गये थे जिसमें से 10 स्वीकृत हुए है और 47 आवेदन अस्वीकृत हुए है। इस स्थिति पर संतोष व्यक्त किया गया ।

सरकारी अधिवक्ता द्वारा सिर्फ दो अंचल के लम्बित मामलों की सूची उपलब्ध करा दी गयी है लेकिन उनके द्वारा दाखिल किये जानेवाले मामलों की विवरणी नहीं प्रस्तुत की गयी है । अतः निदेश दिया गया कि:—

1. श्री जनार्दन पाण्डेय सरकार से संबंधित दाखिल किये गये मामलों की सूची तैयार करें ।
2. सरकारी अधिवक्ता द्वारा सिर्फ दो अंचलों की सूची उपलब्ध कराई गयी है जबकि उन्हें सभी सहायक सरकारी अधिवक्ताओं से प्रतिवेदन प्राप्त कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । पुनः निदेश दिया गया कि उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें ।
3. प्रत्येक माह स्थानान्तरित होनेवाले मामलों की विवरणी उपलब्ध कराई जाय ।
3. सभी अधिवक्ता प्रत्येक माह अधिक से अधिक मामले का निष्पादन सुनिश्चित करें और ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध करावें ।
4. जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं अन्य सरकारी अधिवक्ता पूरे लगन एवं निष्ठा के साथ मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करावें।
5. गत बैठक में सरकारी अधिवक्ता को बिहार सरकार की जमीन से संबंधित दायर किये मामलों के संबंध में सहायक सरकारी अधिवक्ता वार निष्पादन की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था जिसमें यह अंकित रहेगा कि निष्पादित मामलों में से कितने मामलें सरकार के पक्ष में और कितने मामले विपक्ष में निष्पादित हुए हैं । अनुपालन में उन्होंने सिर्फ दो

अंचल की विवरणी उपलब्ध कराया है जो उचित नहीं है । सरकारी अधिवक्ता को सभी सहायक अधिवक्ता वार विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

6. अंचल अधिकारियों द्वारा ससमय बयान तहरीरी नहीं तैयार कराये जाने के प्रश्न पर निदेश दिया गया कि अंचलवार बिहार सरकार से संबंधित मामलों की विवरणी उपलब्ध कराई जाय ताकि अंचल अधिकारियों की मासिक बैठक में इसकी समीक्षा की जा सके।

(अनुपालनसभी लोक अभियोजक,सरकारी अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक एव जिला अभियोजन पदा0 एवं विधि शाखा)।

7. गत बैठक में सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी के बैठने के लिए जगह संबंधी प्रश्न पर आश्वासन दिया गया कि अनुमण्डल परिसर में अवस्थित लाईब्रेरी के कमरे में लाईब्रेरी को शिफ्ट कर उसमें पी0पी0 को भी बैठने की व्यवस्था कर दी जायेगी लेकिन अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो पाई है। आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही उपरोक्त कार्य करा दिया जायेगा ।

8. अपर लोक अभियोजक के पद पर चयन हेतु अधिवक्ताओं की सूची प्राप्त हो चुकी है । बताया गया कि विहित प्रकिया के अनुसार भेजने की कार्रवाई की जायेगी ।

(अनुपालन प्रभारी उप समाहर्त्ता विधि शाखा द्वारा)

9. जिला अभियोजन पदाधिकारी से सरकारी राशि के गबन से संबंधित प्राप्त मामलों की समीक्षा कर उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा संचिका में उपस्थापित करें।

(अनुपालन उप समाहर्त्ता विधि शाखा)

इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी राशि के गबन से संबंधित मामलों का निष्पादन तत्परतापूर्वक कराया जाय।

(अनुपालन जिला अभियोजन पदाधिकारी)

10. गत बैठक में बिहार सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया था कि अंचलवार अलग अलग संचिका संधारित की जाय। इन मामलों की छानबीन कर अवगत कराया जाय कि इन मामलों में आदेश पारित करने के लिए किन किन कागजातों की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है।पुनः निदेश दिया गया कि तत्संबंधी विवरणी उपलब्ध कराया जाय ।

(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता,विधि शाखा द्वारा)

11. गत बैठक में सहायक सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया कि एक विवरणी तैयार की जाय जिसमें यह विवरणी अंकित रहेगी कि अंचलवार कुल कितने मामलों में लिखित बयान तहरीरी तैयार किये गये, तैयार किये गये लिखित बयान तहरीरी में कितने दाखिल हुए तथा कितने मामलों में लिखित बयान तहरीरी दाखिल करना शेष है। इसके साथ ही जिन अंचल अधिकारियों के स्तर पर इस प्रकार के मामले लम्बित हो तो अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को पत्र लिखा जाय । इस निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अन्य अंचलों से प्रतिवेदन प्राप्त हो रहा है लेकिन

10/

भभुआ अंचल से कोई सूचना नहीं दी जा रही है । इन्होंने बताया कि भभुआ में अभी भी बहुत सारे मामले लम्बित पड़े हुए है । निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी भभुआ को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अर्द्ध सरकारी पत्र लिखा जाय एवं अंचल अधिकारियों की मासिक बैठक में भी इस विषय को रखा जाय ।

(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा)

12. फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं पर रोक थाम के लिए एक कमिटि का गठन के बारे में सूचित करते हुए बताया गया था कि इस कमिटि में आरक्षी अधीक्षक एवं लोक अभियोजक सदस्य के रूप में नामित होने की जानकारी देते हुए निदेश दिया गया था कि लम्बित सभी 15 मामलों की सूची जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध करा दी जाय जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि ये मामले किस कारण से लम्बित है । लेकिन अभी तक इसका अनुपालन नहीं हुआ है । पुनः निदेश दिया गया कि अविलम्ब लम्बित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन अगले माह की बैठक के पूर्व अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।

(अनुपालन लोक अभियोजक द्वारा)

13. सम्मन का तामिला हेतु बल की कमी संबंधी प्रश्न पर आश्वासन दिया गया कि आरक्षी अधीक्षक से विचार विमर्श कर बल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी । इसके लिए आरक्षी अधीक्षक को पत्र अधोहस्ताक्षरी की ओर से उपस्थापित किया जाय कि कन्स्टेबुल की जिला में कमी को देखते हुए चौकिदारों को भी इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाय ।

(अनुपालन उप समाहर्त्ता विधि शाखा)

14. सभी सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0 को निदेश दिया गया कि बैठक के एक सप्ताह पूर्व विगत बैठक में दिये गए निदेश का अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन विधि शाखा में प्राप्त करावेगें तथा उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा विधिवत प्राप्त प्रतिवेदनों को संचिका में अपनी टिप्पणी के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेगें ।

(अनुपालन लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजनपदा0,प्रभारीपदा0विधि शाखा)

15. विगत वर्ष 2003–2004 एवं वर्तमान वर्ष 2004–05 में प्रतिवेदित माह तक सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0 के पास कितने मामले थे, कितने का निष्पादन हुआ और कितने मामले अभी लंबित हैं तथा सरकार के पक्ष में कितने मामलों में निर्णय हुआ और कितने का सरकार के विरूद्ध फैसला हुआ। यह प्रतिवेदन सभी संबंधित अधिवक्ता अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावेगें ।

(अनुपालन सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0)

Scanned with OKEN Scanner

16. किन–किन अंचलों में कितने मामले तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु लंबित हैं यह सूची सरकारी वकील द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। उप समाहर्त्ता विधि शाखा सभी अंचल अधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करनवाले वादों सूची संलग्न करते हुए अर्द्धसरकारी पत्र का प्रारूप अविलंब उपस्थापित करें।

(अनुपालन उपसमाहर्त्ता विधि शाखा)

17. सरकारी पदाधिकारियों एवं पुलिस की गवाही के लिए कितने मामले है तथा आरोप पत्र समर्पित करने हेतु कितने मामले है इस संबंध में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

(अनुपालन लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक)

18. जिला अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि 57 बेल पिटिशन दायर किये गये थे जिसमें 47 खारिज हो गये है सिर्फ 10 स्वीकृत हुआ है।

19. आवश्यक पत्राचार के बावजूद यदि कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है। वैसे मामलों की सूची उपलब्ध कराई जाय ।

20. अधिवक्ताओं द्वारा किये गये कार्य का भुगतान लम्बित रहने के प्रश्न पर निदेश दिया गया कि सभी संबंधित अधिवक्ता अपना अपना विपत्र बनाकर अविलम्ब प्रस्तुत करें ताकि भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

21. सरकार से निर्धारित दर की सूचना सभी अधिवक्ताओं को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(अनुपालनसभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सहायक सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदा0)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी ।

Rajendra 10.10.2004

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञाप सं0 1580 /विधि. भभुआ दिनांक 11.10.04

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता,कैमूर(भभुआ)/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि लोक अभियोजक/सरकारी वकील/जिला अभियोजन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/सभी अपर लोक अभियोजक/सभी विशेष लोक अभियोजक/सभी सहायक सरकारी वकील/सभी सहायक लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 10.10.2004

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– 1580 दिनांक– 11.10.04

प्रतिलिपि सचिव,विधि एवं न्याय विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित

Rajendra 10.10.2004

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with OKEN Scanner

डा0 बी0 राजेन्दर,भा0प्र0से0 जिला दण्डाधिकारी कैमूर की अध्यक्षता में दिनांक–13.11.2004को हुई लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक, सरकारी वकील,सहायक सरकारी वकील, विशेष लोक अभियोजक तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

उपस्थिति पंजी के अनुसार

गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

पूर्व की बैठक में सरकारी अधिवक्ताओं/अपर लोक अभियोजकों को यह निदेश दिया जाता रहा है कि बैठक की तिथि से एक सप्ताह पूर्व विहित प्रपत्र में उनसे संबंधित वादों की विवरणी जिला विधि शाखा को हस्तगत करा दें ताकि विधि शाखा के द्वारा उसका संकलन कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जा सके । यह प्रतिवेदन सरकारी अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ है कि अभी भी ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती जा रही है। निदेश दिया गया कि निधारित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन हर माह की 05 वीं तारीख तक सभी सहायक सरकारी अधिवक्ता सरकारी अधिवक्ता को एवं सभी अपर लोक अभियोजक लोक अभियोजक तथा सहायक अभियोजन पदाधिकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें । जो उसे संकलित कर माह की 06 वीं तारीख तो जिला विधि शाखा को भेजना सुनिश्चित करेगें।यह भी निदेश दिया गया कि विहित प्रपत्र के पृष्ठ भाग में निष्पादित वादों की विवरणी भी अंकित की जाय । यदि किसी अधिवक्ता को प्रपत्र उपलब्ध नहीं हो पाया हो तो वे विधि शाखा से प्रपत्र प्राप्त कर लें।

(अनुपालन सभी सहायक सरकारी अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता/सभी सहायक अपर लोक अभियोजक/लोक अभियोजक/सभी विशेष लोक अभियोजक/सभी सहायक अभियोजन पदाधिकारी/जिला अभियोजन पदाधिकारी/उप समाहर्त्ता विधि शाखा)

1. गत बैठक में सरकारी अधिवक्ता,लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी के बैठने के लिए जगह की मांग किये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आज ही अपराह्न में स्थल का निरीक्षण कर बैठने के लिए जगह उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी । स्थल का निरीक्षण भी अनुमण्डल पदाधिकारी भभुआ के साथ किया जा चुका है तथा अनुमण्डल पदाधिकारी को अनुमण्डल परिसर में अवस्थित लाईब्रेरी को शिफ्ट कर उसमें पी0पी0 को भी बैठने की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया था लेकिन अभी तक यह व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है । आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही उपरोक्त कार्य करा दिया जायेगा ।
2. अपर लोक अभियोजको के पद पर चयन हेतु प्राप्त अधिवक्ताओं के नामों की सूची सहमति हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैमूर(भभुआ) को भेजी जा चुकी है । अनुशंसित सूची प्राप्त होते ही उप समाहर्त्ता विधि सरकार को भेजने हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित करेगें ।

(अनुपालन उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि)

3. जिला अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सरकारी राशि के गबन से संबंधित मामलों की विवरणी जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराई गयी है । निदेश दिया गया कि जिला अभियोजन पदाधिकारी नियमित रूप से ऐसे मामलों का सतत् अनुश्रवण करेगें तथा सरकार के पक्ष की सभी आवश्यक सूचनायें/प्रदर्श/गवाही आदि की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहेगें । वे इन मामलों में अबतक क्या कार्रवाई की गयी है का सम्पूर्ण विवरण जिला विधि शाखा को उपलब्ध करायेगें ।

Scanned with OKEN Scanner

उप समाहर्त्ता विधि शाखा उसे अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ संचिका उपस्थापित करेगें ।

(अनुपालन जिला अभियोजन पदाधिकारी/उप समाहर्त्ता विधि)

4. गत बैठक में बिहार सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में सहायक सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया गया था कि अंचलवार अलग अलग संचिका संधारित की जाय । इन मामलों की छानबीन कर अवगत कराय जाय कि इन मामलों में आदेश पारित करने के लिए किन किन कागजात की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है निदेश दिया गया कि उक्त सूची उपलब्ध कराई जाय ताकि मामलों के निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराया जा सके।

(अनुपालन सहायक सरकारी अधिवक्ता)

5. सरकारी अधिवक्ता को पूर्व में निदेश दिया गया था कि अंचलवार एक विवरणी तैयार कर लिया जाय जिसमें सरकार से संबंधित मामलों में दायर किये गये बयान तहरीरी एवं लम्बित बयान तहरीरी का विवरण दर्ज रहेगा ताकि लम्बित मामलों में अंचल अधिकारियों को बयान तहरीरी तैयार कराने हेतु निदेशित किया जा सके । उप समाहर्त्ता विधि के द्वारा बताया गया कि अंचलवार जनवरी 2004 से अद्यतक ऐसे मामलों को सूचीबद्ध किया जा चुका है तथा लहम्बित मामलों में बयान तहरीरी उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से संबंधित अंचल अधिकारियों को अर्द्ध सरकारी के द्वारा स्मारित भी किया गया है। जैसा कि सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इसके सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए है तथापि अभी भी बहुत ऐसे मामलों में बयान तहरीरी अप्राप्त है । उप समाहर्त्ता विधि के द्वारा स्पष्ट किया गया कि दिनांक–01.01.2004 से पूर्व के मामलों की सूची तैयार कराई जा रही है प्रधान लिपिक जिला विधि शाखा को निदेशित किया गया कि वे ऐसे मामलों को अंचलवार सूचीबद्ध कर लें तथा जिन अंचलों से बयान तहरीरी प्राप्त की जानी है उन्हें अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अर्द्ध सरकारी पत्रा के द्वारा स्मारित किया जाय । सहायक सरकारी अधिवक्ताओं को भी निदेशित किया गया कि वे विधि शाखा में बैठकर पूर्व के लम्बित ऐसे मामलों की तैयारी में अपना सहयोग करें तथा अपने रेकर्ड से तुलना कर यह सुनिश्चित कर लें कि कोई मामला अप्रतिवेदित तो नहीं रह गया है । उल्लेखनीय है कि सरकारी मामलों में पूरे तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जितना सरकारी कर्मी के लिए आवश्यक है उतना ही दायित्व सरकार के द्वारा नियुक्त सरकारी अधिवक्ता का भी है ।

(अनुपालन सभी सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता एवंप्रधान लिपिक जिला विधि शाखा)

6. लोक अभियोजक के द्वारा फिरौती से संबंधित मामलों में प्रतिवेदन शीलबन्द लिफाफे में उपलब्ध कराया गया । जिसे गोपनीय शाखा में संधारित करने का निदेश दिया गया । लोक अभियोजक को निदेशित किया गया कि हर मासिक बैठकों में वे इसीतरह से अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगें ।

(अनुपालन लोक अभियोजक/जिला गोपनीय शाखा)

7. सम्मन का तामिला हेतु बल की कर्मी संबंधी प्रश्न पर आश्वासन दिया गया कि आरक्षी अधीक्षक से विचार विमर्श कर बल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी।इसके लिए आरक्षी अधीक्षक को अधोहस्ताक्षरी की ओर से पत्र उपस्थापित किया जाय कि कन्स्टेबुल की कमी को देखते हुए चौकीदारों को भी इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाय ।

(अनुपालन उप समाहर्त्ता विधि शाखा)

8. जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सरकारी अधिवक्ता,सहायक सरकारी अधिवक्ता,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बैठक के एक सप्ताह पूर्व विगत बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को प्राप्त करायेगें तथा उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा विधिवत प्राप्त प्रतिवेदनो को संचिका में अपनी टिप्पणी के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेगें ।

(अनुपालन लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सरकारी अधिवक्ता, सहायक सरकारी अधिवक्ता,विशेषलोकअभियोजक एवं जिलाअभियोजन पदा0)

9. विगत वर्ष 2003–2004 एवं 2004–05 में प्रतिवेदित माह तक सभी लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सरकारी अधिवक्ता,सहायक सरकारी अधिवक्ता,विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी के पास कुल कितने मामले थे,कितने का निष्पादन हुआ और कितने मामले अभी लम्बित हैं तथा सरकार के पक्ष में कितने मामलों में निर्णय हुआ और कितने का सरकार के विरूद्ध फैसला हुआ । यह प्रतिवेदन सभी संबंधित अधिवक्ता अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

(अनुपालन लोक अभियोजक,सहायक लोक अभियोजक,सरकारी अधिवक्ता, सहायक सरकारी अधिवक्ता,विशेषलोकअभियोजक एवं जिलाअभियोजन पदा0)

10. माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों की समीक्षा के कम में सरकारी अधिवक्ता/विशेष लोक अभियोजक/लोक अभियोजक को निदेशित किया गया कि याचिका की प्रति प्राप्त होते ही दो दिन के अन्दर तथ्य विवरणी तैयार कर संबंधित विभाग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगें । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता स्वाभ्य नहीं होगा । सरकारी अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को निदेशित किया गया कि आगामी माह में वे इस आशय का प्रतिवेदन लायेगें कि उनके द्वारा ऐसे कितने मामलों में तथ्य विवरणी तैयार कर उपलब्ध करा दिये गये तथा कितने मामले लम्बित है ।

(अनुपालन सरकारी अधिवक्ता/लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक)

11. सरकारी पदाधिकारियों एवं पुलिस की गवाही के लिए कितने मामले हैं तथा आरोप पत्रा समर्पित करने हेतु कितने मामले हैं इस संबंध में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करेगें ।

(अनुपालनलोक अभियोजक,अपरलोकअभियोजक तथा विशेषलोक अभियोजक)

12. बेल पिटिशन के संबंध में गत बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन में प्रतिवेदित किया गया जो निम्न प्रकार है:—

कमांक	लोकअभियोजक/विशेष लोकअभियोजक/जिला अभियोजनपदा0का नाम	कुल दाखिल बेलपिटीशन	निष्पादित	स्वीकृत	अस्वीकृत
1	श्री अब्दुल वाहिद खां	111	91	43	48
2	जिलाअभियोजन पदाधिकारी	अनुपस्थित है जिसके कारण समीक्षा नहीं हो सकी			

निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह आयोजित बैठकों में बेल पिटिशन के दाखिल,निष्पादित, स्वीकृत एवं अस्वीकृत होने संबंधी विवरणी उपलब्ध कराई जाय ।

Scanned with OKEN Scanner

(अनुपालन लोक अभियोजक)

13. सरकारी राशि गबन के आरोपी को सजा जरूर मिले इसे सुनिश्चित किया जाय ।

(अनुपालन जिला अभियोजन पदाधिकारी)

14. आवश्यक पत्राचार के बावजूद यदि कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है, वैसे मामलों की सूची उपलब्ध कराई जाय ।

(अनुपालनलोकअभियोजक,सहायकलोकअभियोजक,सरकारी अधिवक्ता,सहायक सरकारी अधिवक्ता,विशेष लोक अभियोजक एवंजिला अभियोजन पदा0)

15. उप समाहर्त्ता जिला विधि शाखा को निदेशित किया गया कि सरकारी अधिवक्ता,लोक अभियोजक,अपर लोक अभियोजक एवं अन्य के द्वारा जो विपत्र प्रस्तुत किया गया उसकी जांच कर संचिका में उपस्थापित करें । प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल जिला विधि शाखा को निदेशित किया गया कि ऐसे मामलों को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आलोक में विपत्रों की जांच कर प्रस्ताव देगें ।

(अनुपालन प्रधान लिपिक जिला विधि शाखा)

16. आज की बैठक में अनुपस्थित रहनेवाले अधिवक्ताओं से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया साथ ही साथ जिनके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया है उनसे भी स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन जिला विधि शाखा)

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

(हस्ताक्षर) 5.12.20..

(डा0 बी0राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांकः– 2017 दिनांक– 6.12.04

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता कैमूर(भभुआ)/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि लोक अभियोजक/सभी अपर लोक अभियोजक/सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता/जिला अभियोजन पदाधिकारी/सभीअपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 5.12.

(डा0 बी0राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांकः– 2017 दिनांक– 6.12.04

प्रतिलिपि सचिव,विधि एवं न्याय विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 5.12.

(डा0 बी0राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with OKEN Scanner